पत्रांक – SUDA/SBM/FM/80–2016............168....

OSP (नागरिक सुविधा) राज्य योजना मद

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०)
पो० हिनू, राँची।

अनौपचारिक रूप से परमार्शित

द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/ दिनांक 03/01/19

विषय: केंद्र प्रायोजित "स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)" कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के राज्य के कुल 5 (पांच) नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट योजन पर कार्य कर रहे Concessionaires का Tipping Fee के भुगतान हेतु राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद में OSP से निकायों को सहायता राशि के रूप में कुल राशि रु० 33,35,000 (रु० तैतिस लाख पैतीस हजार) मात्र अनुदान की स्वीकृति।

प्रसंग: संकल्प सं० - 5641, दि० - 28.11.2018 |

महाशय,

भारत सरकार द्वारा संचालित **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)** के अंतर्गत साफ – सफाई का कार्य करते हुये 2 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है।

2. उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट योजना पर PPP मोड पर कार्य करने हेतु निकायों द्वारा Concessionaires का चयन किया गया है। विभागीय संकल्प सं० - 5641 के अनुसार निकायों के सकल कर संग्रह के 40% तक की राशि से O&M मद अंतर्गत Tipping Fee का भुगतान किया जायेगा। Tipping Fee निकायों के सकल कर संग्रह के 40% से अधिक होने की स्थिति में शेष राशि का वहन राज्य मद द्वारा प्रक्षेत्र के कुल 5(पांच) शहरी स्थानीय निकायों में Concessionaires द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु O&M का कार्य किया जा रहा है। O&M मद में Concessionaires का भुगतान निकायों द्वारा किया जाना है।

3. वित्तीय वर्ष 2018 – 19 में राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA), झारखण्ड, राँची को राज्य के शहरी स्थानीय नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन हेतु निकायों को सहायता हेतु राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद में OSP से नगर निकायों के मांग पर आवंटन हेतु प्रावधानित 10% राशि से कुल रु० 33,35,000 (रु० तैतिस लाख पैतीस हजार) मात्र अनुदान की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है:–

क्र०सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु० लाख में)	कोषागार का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
1	बुंडू नगर पंचायत	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	11.05	राँची	कार्यपालक पदाधिकारी
2	चाकुलिया नगर पंचायत		3.89	घाटशिला उप कोषागार	कार्यपालक पदाधिकारी
3	लातेहार नगर पंचायत		8.93	लातेहार	कार्यपालक पदाधिकारी
4	सराइकेला नगर पंचायत		1.77	सराइकेला	कार्यपालक पदाधिकारी
5	चिरकुंडा नगर पंचायत		7.71	धनबाद	कार्यपालक पदाधिकारी
		कुल	33.35		

प्रासंगिक विभागीय संकल्प द्वारा केंद्र प्रायोजित "स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)" के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम को झारखण्ड राज्य में कार्यान्वित करने हेतु दिशानिर्देश एवं कार्यप्रणाली की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है |

168 03/01/19

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018 – 19 में राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद में OSP में कर्णांकित प्रक्षेत्र के बजट शीर्ष से विकलनीय होगा |

प्रक्षेत्र	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
OSP	मुख्य – शीर्ष – 2217 – शहरी विकास - उप मुख्य शीर्ष – 80 – सामान्य - लघु शीर्ष – 191 – नगर निगमों को सहायता - उप शीर्ष – 34 – शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधा हेतु सहायय अनुदान – विस्तृत शीर्ष – 06 – अनुदान – 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन); विपत्र कोड – **48S221780191340679**	रु० 33,35,000 (रु० तैतिस लाख पैतीस हजार)

5. स्वीकृत राशि से निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट योजना पर कार्य करने वाले Concessionaires को Tipping Fees के मद में भुगतान किया जायेगा, इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे |

6. स्वीकृत राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी सम्बंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनिवार्य रूप से की जाएगी |

7. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष (2016 - 17) में उक्त निकायों को उक्त कार्य हेतु कोई आवंटन निर्गत नहीं किया गया है | अतएव उपयोगिता प्रमाण – पत्र सम्बन्धी प्रतिवेदन शून्य है |

8. उक्त निकायों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि स्वीकृत राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाएगी |

9. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या – 759/ वि० दिनांक – 20.03.2015 की कंडिका – 5 के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता – 2016 के अनुरूप कोषागार में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा|

10. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या – 2561 दिनांक – 17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय – समय पर निर्गत अनुवर्ती आदेशों के आलोक में की जायेगी | आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, राँची, झारखण्ड को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा |

11. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है |

12. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे सम्बंधित पुस्तकों/ पंजियों की जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा |

13. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या – 759/ वि० दिनांक – 20.03.2015 के कंडिका – 5 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है |

कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन धुर्वा राँची, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या – 759/ वि०, दिनांक - 20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – SUDA/SBM/FM/ 80 - 2016-....168.... राँची, दिनांक....03/01/19...

प्रतिलिपि – योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – SUDA/SBM/FM/ 80 - 2016-....168.... राँची, दिनांक....03/01/19...

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/ निदेशक, नगरीय प्रशासन, झारखंड, राँची/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/ उप निदेशक – सह - निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सुडा/ अवर सचिव – सह – निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड, राँची/ सम्बंधित नगर निकाय/ नोडल पदाधिकारी, ई – प्रक्युमेंट सेल/ श्री कुणाल, विशेषज्ञ (IT - Specialist) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को Online आवंटन हेतु/ बजट शाखा, सुडा/ नगर विकास एव आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।